सर्व सेवा संघ के उप-नियम

सर्व सेवा संघ के नियमावली की धारा 18 के अनुसार कार्यसमिति को उप-नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तद्नुसार पुणे में दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 को हुई कार्यसमिति ने संविधान संशोधन एवं उप-नियम समिति की अनुशंसा पर सर्व-सम्मति से सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के चुनाव हेतु निम्न उप-नियम बनाये हैं :

1. **चुनाव अधिकारी की नियुक्ति :** सर्व सेवा संघ की कार्यसमिति अध्यक्ष के चुनाव की तिथि से कम-से-कम 30 दिन पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

2. **सूची का प्रकाशन :**

(क) सर्व सेवा संघ का प्रधान कार्यालय जिस अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव होनेवाला हो उससे दो माह पूर्व निम्न सूची सर्व सेवा संघ के वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा –

(i) सर्व सेवा संघ के विधान की धारा 4 के अनुसार सर्व सेवा संघ के सदस्यों -

(क) जिला सर्वोदय मंडलों के अध्यक्ष

(ख) जिला सर्वोदय मंडलों के प्रतिनिधि

(ग) प्रदेश सर्वोदय मंडलों के अध्यक्ष

(घ) सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य

इसके अतिरिक्त लोकसेवकों की सूची भी प्रकाशित की जायेगी।

(ख) सूची में संशोधन : वेबसाइट पर सूची के प्रकाशन के 15 दिनों तक प्राप्त होनेवाले संशोधन विचार किया जायेगा।

(ग) संशोधनों का निपटारा : संशोधन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के 10 दिनों के अंदर इन संशोधनों का निपटारा किया जायेगा।

(घ) संशोधित सूची का प्रकाशन : धारा 2 (ग) की अवधि समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर अंतिम संशोधित का प्रकाशन होगा सर्व सेवा संघ के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

3. **नामांकन पत्र :**

(क) नामांकन पत्र की प्राप्ति : नामांकन पत्र सर्व सेवा संघ के प्रधान कार्यालय, सेवाग्राम या अधिवेशन स्थल पर सर्व सेवा संघ के कैम्प कार्यालय से कार्यसमिति द्वारा निर्धारित तारीखों में प्राप्त किये जा सकेंगे।

(ख) प्रस्तावक एवं अनुमोदक : नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रुप में 3 प्रदेशों के कम-से-कम 3 लोकसेवकों एवं अनुमोदक के रुप में 3 प्रदेशों के कम-से-कम 3 लोकसेवकों (जिनके नाम सर्व सेवा संघ के लोकसेवक सूची में हो) के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

एक लोकसेवक किसी एक उम्मीदवार का ही समर्थक और अनुमोदक हो सकेगा/सकेगी।

(ग) अध्यक्ष के प्रत्याशी को निर्धारित तारीख को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन पत्र भरकर चुनाव अधिकारी को देना होगा।

(घ) नामांकन पत्रों की जांच : कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। अगर नामांकन पत्र में कोई विसंगति पायी जाती है तो चुनाव अधिकारी को उसे रद्द करने का अधिकार होगा।

(च) उम्मीदवारों के सूची का प्रकाशन : चुनाव अधिकारी कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवारों के सूची का प्रकाशन करेंगे।

(छ) नाम वापसी : उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के बाद कोई उम्मीदवार चाहें तो कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

(ज) उम्मीदवारों की अंतिम सूची : नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार अध्यक्ष के उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन करेंगे।

4. **मत पत्र :** मत पत्र प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा। हरेक मत पत्र के पीछे चुनाव अधिकारी का हस्ताक्षर तथा सर्व सेवा संघ की गोल मुहर लगी होगी।

5. **निर्वाचन :**
   (क) आवश्यक होने पर (एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में) कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन संघ अधिवेशन में होगा।
   (ख) निर्वाचन की स्थिति में सर्व सेवा संघ के नियमावली की धारा 4 में वर्णित सदस्य ही मतदान में भाग ले सकेंगे।
6. मत पत्रों में किसी प्रकार की गलती होने पर चुनाव अधिकारी उसे रद्द कर देंगे।
7. निर्वाचन में पत्रों को छः महीने तक सुरक्षित रखा जायेगा उसके बाद उसे जला दिया जायेगा।

2. प्रदेश सर्वोदय मंडलों के अध्यक्ष का निर्वाचन

1) प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष का निर्वाचन

(क) चुनाव अधिकारी : प्रदेश सर्वोदय की कार्यसमिति अध्यक्ष के चुनाव की तिथि से कम-से-कम 30 दिन पूर्व चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
(ख) मतदाता सूची का प्रकाशन : प्रदेश सर्वोदय मंडल चुनाव की तिथि के 30 दिन पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। सूची में जिला/नगर के अध्यक्ष/संयोजक/प्रतिनिधि शामिल होंगें ।
(ग) चुनाव की तिथि पर चुनाव अधिकारी संघ के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में चुनाव सम्पन्न करायेंगे।

3. जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष का निर्वाचन :

(क) प्रदेश सर्वोदय मंडल की कार्यकारिणी समिति की उपस्थिति में चुनाव होगा। इस बैठक हेतु लोकसेवकों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत तथा सर्वोदय मित्रों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(ख) सर्वोदय मित्र चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे पर वे उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे।

4. अन्य :

जो व्यक्ति जिस जिले में रहता/रहती है उसी जिले से लोकसेवक एवं पदाधिकारी हो सकते हैं।

(सर्व सेवा संघ की कार्यसमिति, पुणे : 17-18 दिसम्बर 2016, पट्टीकल्याणा : 11-12 नवम्बर 2017 तथा जयपुर : 28-29 नवम्बर 2018 द्वारा पारित)

□ □ □ □